

समाचार
लाकडाउन उल्लंघन पर की गई कार्यवाही
(विभिन्न जोनों में लाकडाउन उल्लंघन करने वालों पर लगाया गया 7900 रुपये का अर्थदण्ड)



कोरबा 05 मई 2021 —लाकडाउन के उल्लंघन पर नगर निगम कोरबा द्वारा कड़ी नजर रखते हुए उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आज और कल निगम के बालको, दर्री, रविशंकर, टी.पी. नगर, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत लाकडाउन उल्लंघन पर कार्यवाही करते हुए पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम अमले ने 7900 रुपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें लाकडाउन का पालन करने के लिए कड़ी हिदायत दी।

लाकडाउन के दौरान बेवजह घूमने, मास्क न लगाने तथा निर्धारित समय के पश्चात फल, सब्जी का विक्रय कर लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आज और कल कार्यवाही करते हुए निगम अमले द्वारा संबंधितों पर अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालको जोन में 3200 रुपये, दर्री जोनांतर्गत 1200 रुपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1000 रुपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 2000 रुपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा कड़ी हिदायत दी गई कि यदि दोबारा उनके द्वारा लाकडाउन का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

गोपालपुर में 03 गैरेजों को किया सील— निगम के दर्री जोन अंतर्गत आने वाले गोपालपुर बस्ती में 03 गैरेज संचालकों ने लाकडाउन के दौरान आज अपने गैरेज खोल रखे थे। कटघोरा एस.डी.एम. श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी के निर्देश पर उक्त तीनों गैरेजों को बंद कराकर उन्हें सील कर दिया गया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि वे लाकडाउन का उल्लंघन न करें अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी।